

# ORDER SHEET 06-2016rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
11 -02-17	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।</p> <p>परिवादी सहित अधि०श्री रवि मुदगल उप० आरोपी अनुपस्थित।</p> <p>आज दिनांक को परिवादी द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेट प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। परिवादी की पहचान अधि०श्री रवि मुदगल द्वारा की गई हैं।</p> <p>राजीनामा के संबंध में विचार किया गया।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद का संज्ञान लिया गया हैं। परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने विवादित चैक की राशि अदा कर दी है उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। अतः वह परिवादी को आगे नहीं चलाना चाहता है। चूंकि परिवादी एवं आरोपी के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा आरोपी द्वारा विवादित चैक की राशि परिवादी को अदा कर दी गई है। परिवादी एवं आरोपी के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोक नीति के अनुरूप है अतः वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। प्रकरण मे पूर्व नियत तिथि 08/03/17 निरस्त की गई।</p> <p>प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>खण्डपीठ सदस्य. क्र.1— सही / — क्र.2— (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र०17 गोहद</p>	